International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 13 Issue 4 || April 2024 || PP. 108-111

स्वतंत्र भारत की उल्लेखनीय ग्रामीण विकास योजनायें एवं उनका प्रभाव

डा० सुप्रिया पाण्डेय
असिस्टेण्ट प्रोफेसर (समाजशास्त्र विभाग) ''आचार्य नरेन्द्र देव नगर निगम महिला महाविद्यालय हर्षनगर, कानपुर

सारांश– *भारत एक कल्याणकारी राज्य है; जो सामान्य रूप से अपने सभी नागरिकों को और विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्ग व सभी स्रोतों विशेष रूप से निर्धन एवं ग्रामीण क्षेत्रों, गंदी बस्तियों एवं पिछड़े क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के आर्थिक उत्थान के लिये नाना प्रकार की योजनाओं का निर्माण कर उन्हें क्रियान्वित करती है। विकासशील अर्थव्यवस्था तथा विशाल जनसंख्या में रोजगार सदा से ही प्रमुख घटक रहा है। वर्षों की गुलामों के बाद स्थापित लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष विशाल जनसंख्या के आर्थिक तथा सामाजिक उन्नयन की चुनौती सर्वदा विद्यमान रही है। आर्थिक उन्नयन सामाजिक उन्नयन की प्रथम सीढ़ी के तौर पर नीति नियत्ताओं द्वारा संयुक्त किया जाता रहा है। करीब साढ़े छह लाख गाँवों के समृद्ध ताने–बाने से बुने भारत के सामाजिक–आर्थिक परिवेश में ग्रामीण क्षेत्र के जनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, आज भी हमारे देश की 68.84 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में ही निवास करती है, इसलिये भारत की रीढ़ कहे जाने वाले इन गाँवों के विकास के बिना सम्पूर्ण राष्ट्र के विकास की कल्पना भी निरर्थक है आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तब यह जानना जरूरी है कि आजादी के समय भुखमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी और बीमारियों का प्रकोप झेल रहा ग्रामीण भारत आज के इस डिजिटल युग में विकास के किस मोड़ पर खड़ा है कि किस प्रकार विकास के विभिन्न आयामों व सामवेशी व सतत् विकास भौतिक व डिजिटल कनेक्टिवटी गुणवत्ता पूर्ण जीवन के कितने पहलू शामिल हैं।*

कीवर्ड– *स्वतंत्रता, ग्रामीण विकास योजनायें, गरीबी, बेरोजगारी, पंचवर्षीय–योजना।*

प्रस्तावना– भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासगत प्रक्रिया के अन्तर्गत गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विषमता में प्रगतिशील रूप में कमी, पूर्ण रोजगार जैसे लक्ष्य पर बार–बार जोर दिया जाता रहा है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ढेर सारी नीतियों के बावजूद बेरोजगारी मुँह बाए खड़ी हुयी है। यदि बेरोजगारी के कारणों पर विचार करें तो पायेंगे की भारत में सीमित भूमि की उपलब्धता की वजह से भूमि पर दबाव बढ़ रहा है व प्रतिव्यक्ति भूमि की दर कम होती जा रही है। जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में रोजगार के अवसरों की वृद्धि नहीं हो पा रही है।

गरीबी तथा बेरोजगारी के कारण उत्पन्न विभिन्न समस्याओं ने लोकतांत्रिकता और कल्याणकारी सरकारों को बाध्य किया है कि वे रोजगारमुख तथा गरीबी निवारण में प्रभावकारी योजनाओं का संचालन करे। प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं से लेकर हर पंचवर्षीय योजनाओं ने इन गरीबी तथा बेरोजगारी निवारण योजनाओं का बढ़ावा दिया है, तथापि प्रमुख योजनाओं के बावजूद जनसमान्य पर इनकी प्रभावशीलता लद्धयानुरूप सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तन करने में असमर्थ रही, फलस्वरूप योजनाओं में परिवर्तनन तथा परिवर्धन की राजनैतिक मजबूरी की विद्यमानता देखी जा सकती है। I.R.D.P. से लेकर जवाहर रोजगार योजना तक बीस सूत्रीय कार्यक्रम से लेकर हरित क्रान्ति तक तमाम सुधार कृषि क्षेत्र के प्रतिभागी सदस्यों विशेषकर श्रमिकों के आस–पास हस्तान्तरण के कोटिशः प्रयासों की वानगी प्रस्तुत करते हैं। ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य उपलब्धता में सुधार के लिये निरन्तर प्रयास कर रहा है विभाग मनरेगा के अन्तर्गत दिहाड़ी रोजगार के अतिरिक्त कुशल, अर्द्धकुशल दिहाड़ी मजदूर को पीएनवाई–ग्रामीण तथा पीएनजीएसवाई के अन्तर्गत सड़क निर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन दे रहा है। पारस्परिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि, हस्तशिल्प, लघु–कुटीर उद्योगों पर निर्भर थी जो शहरीकरण, औद्योगिकीकरण तथा वैश्वीकरण के आगमन के कारण तेजी से समाप्त होती गयी। भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार कृषि नवीन संकटों का सामना करने के लिये विवश है ऐसी स्थिति में पूर्व से लेकर अब तक सरकार द्वारा ग्रामीण समाज की समृद्धि हेतु अनेक योजनायें बनायी गयी।

फलस्वरूप स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ–साथ मिली गरीबी तथा बेरोजगारी ने भी प्रतिशत में अपना आकार जरूर सीमित कर लिया परन्तु कुल गरीबों की जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती रही है साथ–साथ शहरों की ओर पलायन में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है। विकास की विभिन्न योजनाओं ने यद्यपि देश के विभिन्न क्षेत्र में विकास के प्रतिमान स्थापित किये जिससे विकासशील देश धीरे–धीरे विकसित देश की ओर अग्रसर हो चुके हैं तथापि ग्रामीण क्षेत्रों की एक बहुल जनसंख्या आज भी कृषि एवं मजदूरी पर ही निर्भर है। इन सभी विकट समस्याओं को ध्यान में रखते हुये सरकार द्वारा स्वतंत्रता के तत्काल बाद ही अनेक–ग्रामीण विकास योजनायें बनानी आरम्भ हो गयी परन्तु वास्तविक धरातल पर वह कितनी सफल सिद्ध हुयी, कितने रोजगार एवं विकास कार्य किये यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

साहित्य सर्वेक्षण–

- ग्रामीण समाजशास्त्र भारतीय परिवेश में ''रघुराज गुप्त, एस0एन0 मुंशी'' विवेक प्रकाशन नई दिल्ली। जुलाई 1983 पेज नं0 209
  स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की प्रेरणा से भारत में आर्थिक नियोजन की शुरूआत 1951 से ही आरम्भ हो गयी थी। 1954 में ग्रामीण विकास के लिये सामुदायिक विकास योजना और राष्ट्रीय प्रसार सेवाओं का सूत्रपात हुआ। पंचवर्षीय योजनायें कार्यान्वित होने के बाद भी गरीबी, अज्ञानता, रोग, जनसंख्या वृद्धि की समस्या ज्यों की त्यों बनी रही।
- ग्रामीण सशक्तिकरण ग्रंथमाला–7 ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सम्पादक डा0 सवलिया बिहारी वर्मा, सहसंपादक संजू गुप्ता, अनिल चन्द्र पाठक यूनिवर्सिटी प्रकाशन नई दिल्ली पेज नं0 11
  निर्धन परिवारों को वार्षिक न्यूनतम रोजगार गारण्टी प्रदान करने के लिये नई सरकार संसद में एक विधान प्रस्ताव लायेगी। मूल प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक राज्य में प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति की न्यूनतम मजदूरी दर से हर वर्ष सौ दिन के रोजगार संवैधानिक अधिकार दिया जाना था।
- नरायण, प्रकाश 2007 ''ग्रामीण गरीबी तथा बेरोजगारी : कारण एवं समाधान'' कुरूक्षेत्र वर्ष : 53 अंक 09 जुलाई 2007 ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।
  ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं तथा कारकों का उल्लेख करते हुये पाया कि ग्रामीण गरीबी तथा बेरोजगारी वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौती है।

शोध का उद्देश्य– स्वतंत्रता के उपरान्त भारतीय ग्रामीण समाज को समृद्ध करने हेतु सरकार द्वारा चलायी गयी प्रमुख योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना।

सरकार द्वारा चलायी गयी यह योजना ग्रामीण अचल में कितनी प्रभावी रही इनकी जानकारी प्राप्त करना।

शोध पद्धति– प्रस्तुत शोध में वर्णनात्मक शोध प्ररचना का प्रयोग किया गया है अध्ययन के अन्तर्गत ग्रामीण विकास योजनाओं पर प्रकाश डाला गया है। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार द्वारा चलायी गयी प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावों का गुणात्मक रूप से विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया गया है। प्रस्तुत शोध आलेख द्वितीयक स्त्रोतों पर आधारित है। द्वितीयक स्त्रोतों से प्राप्त तथ्यों एवं आंकड़ों का समीक्षात्मक विश्लेषण प्रस्तुत शोध पत्र में किया गया है।

स्वतंत्रता के उपरान्त चलायी गयी ग्रामीण विकास योजनायें एवं उनका प्रभाव– स्वतंत्रता के उपरान्त भारतीय सरकार द्वारा लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से नहीं बल्कि अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण हेतु विभिन्न विकास योजनायें चलायी गयी जिनका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण समाज को समृद्ध करते हुये संगठित करना था जो आज भी सरकार की प्राथमिकता में दर्ज है।

1. **सामुदायिक विकास कार्यक्रम (02 अक्टूबर 1952)–** ''स्वतंत्रता के उपरान्त भारत की विषम परिस्थितियों का वर्णन करते हुये टेलर महोदय ने स्पष्ट किया'' भारत में व्यापक निर्धनता के कारण भारत में लोगों की प्रति व्यक्ति आय अन्य राष्ट्र की तुलना में कम थी भोजन के अभाव में लाखों लोगों की मृत्यु हो रही थी कुल जनसंख्या का प्रतिशत भाग प्राकृतिक तथा सामाजिक रूप से बिल्कुल अलग–अलग था। ग्रामीण उद्योग के नष्ट होने के साथ ही जाति व्यवस्था कठोर विभाजन सामाजिक संरचना की विषाक्तता कर चुका था। लगभग 800 भाषाओं की विभिन्नता के कारण सामूहिक दूरी बनी हुयी थी और अंग्रेजी शासन पर आधारित राजनैतिक नेतृत्व कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में असमर्थ था। ऐसी दशा में भारतीय सामाजिक व्यवस्था के पुर्नसंगठन से ही सामाजिक पुननिर्माण सम्भव होगा।

प्रो0 ए0आर0 देसाई के अनुसार– ''सामुदायिक विकास योजना एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित गाँवों के सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण की प्रक्रिया प्रारम्भ करने का प्रयत्न किया जाता है।

सामूदायिक विकास कार्यक्रम इसी समस्या के समाधान हेतु बनाया गया। बड़े लक्ष्यो की प्राप्ति हेतु सर्वप्रथम 1948 में उत्तर प्रदेश के इटावा तथा गोरखपुर जिलों की एक प्रायोगिक योजना लायी गयी। इसी की सफलता से प्रेरित होकर जनवरी 1952 में भारत और अमेरिका के मध्य एक समझौता हुआ जिसके अनुसार भारतीय गाँव के चतुर्दिक विकास हेतु अमेरिका के फोर्ड फाउण्डेशन द्वारा आर्थिक सहायता देना स्वीकार किया गया इसी योजना का नाम सामुदायिक विकास योजना रखा गया था। 20 अक्टूबर 1952 में 55 विकास खण्ड की स्थापना करके इस योजना का आरम्भ किया गया।

राष्ट्र संघ के प्रतिवेदन में हैमरशोल्ड ने लिखा है कि ''सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य ग्रामीणों के लिये केवल भोजन, वस्त्र, आवास स्वास्थ्य एवं सफाई की ही सुविधा देना नहीं है बल्कि भौतिक विकास में ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रामीणों के विचार व दृष्टिकोण में परिवर्तन करना है।

2. **ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (1969)–** ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के वित्तीयन के लिये जुलाई 1969 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गयी थी। जिस समय निगम की स्थापना हुयी थी उस समय केवल 15 प्रतिशत गाँव ही विद्युतकृत थे। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये सरकार ने निरन्तर प्रयास किये। कई योजनायें बनायी गयी और उनका पूर्णतः ईमानदारी से क्रियान्वयन का भी प्रयास किया गया।

3. **राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना–** ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति हेतु अप्रैल 2005 ''राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना'' आरम्भ की गयी। इस योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के लक्ष्यों को पूरा करने के लिये शुरू की गयी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी ग्रामीण परिवारों को 05 साल में बिजली उपलब्ध कराना रखा गया। इस योजना को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के माध्यम से लागू किया गया है। इस योजना में कुटीर ज्योती कार्यक्रम के अनुसार सभी ग्रामीण बस्तियों में 100 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी गरीबी रेखा के नीचे सभी बिजली रहित परिवार के लिये सब्सिडी की व्यवस्था की गयी।

4. **सूखा आशंकित कार्यक्रम (1972–73)–** सूखा प्रभावित क्षेत्रों में इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारम्भ 1973 में किया गया था इसका मुख्य उद्देश्य प्रभावित क्षेत्रों में भूमि जल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन के विकास हेतु अनुकूलतम पर्यावरण में सन्तुलन बनाना है। 01 अप्रैल 1995 से यह कार्यक्रम जल संग्रह विकास हेतु तय किये गये साझा दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत चलाया गया।

5. **कपार्ट (CAPART) 1986-** (Council for Advancement of People's Action and Rural Technology) जन सहयोग एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद) का गठन 1 सितम्बर 1986 को किया गया था। इसका मुख्यालय नयी दिल्ली में है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण सम्पन्नता के लिये परियोजना के कार्यान्वयन में स्वैच्छिक से जुड़े कार्य को प्रोत्साहन देना और उनका सहयोग करना है। कपार्ट के अन्तर्गत जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, पटना, चण्डीगढ़, गुवाहटी, हैदराबाद और धारवाड़ में प्रादेशिक समितियों को अपने स्वयं के प्रदेश में स्वयंसेवी, संस्था की रू0 25 लाख के परिव्यय वाली परियोजना को मंजूरी देने का अधिकार प्राप्त था। मार्च 2012 में 9 प्रादेशिक समिति को बन्द करते हुये ''कपार्ट'' को ग्रामीण विकास मंत्रालय को पुनर्गठित करने का काम किया गया।

6. **जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 01 अप्रैल 1999–** जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1 अप्रेल 1999 को आरम्भ की गयी, यह योजना पूर्व में चल रही योजना जवाहर रोजगार योजना का सुव्यवस्थित व व्यापक स्वरूप ही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में माँग आधारित सामुदियक अवसंरचना का सृजन करने के साथ–साथ टिकाऊ सामुदायिक व सामाजिक आधार पर परिसम्पत्तियों का सृजन करना है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार गरीबों व अन्य बेरोजगारी को रोजगार के लाभकारी अवसर उपलब्ध कराना है। इस योजना का गौढ़ उद्देश्य बेरोजगारी गरीबों को मजदूरी आधारित रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना था। इस योजना में खर्च की जाने वाली धनराशि का अनुपात केन्द्र व राज्य में 75:25 है।

7. **सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना–** इस योजना को 25 सितम्बर 2001 को आरम्भ किया गया। इस योजना में रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्ध को समावेशित कर दिया गया। रोजागर आश्वासन योजना के अन्तर्गत आरम्भ जनवरी 2001 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम को भी इस योजना में समावेशित कर दिया गया। 01 अप्रैल 2008 सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY योजना को महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में नरेगा में समन्वित कर दिया गया।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। जिससे मजदूरी की पलायनवादिता रोकी जा सके और उनके जीवन स्तर में सुधार हो।

8. **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन–** इस कार्यक्रम का आरम्भ 12 अप्रैल 2005 को किया गया। यह योजना ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनतम की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हेतु की गयी। इस कार्यक्रम को पूरे देश में कार्यान्वित करते हुये 18 राज्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस मिशन का उद्देश्य राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति दोनों के लक्ष्य पूर्ण करके मिशन के सम्भावित निष्कर्ष तक पहुँचाना था।

9. **प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना–** 2009–10 में इस योजना का शुभारम्भ किया गया इस योजना की घोषणा उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री, प्रणव मुखर्जी ने 2009–10 में वित्त वर्ष प्रारम्भ करने से पूर्व इसकी घोषणा की थी। देश में कुछ 44000 गाँव ऐसे हैं जहाँ की 50 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है, इन गाँवों के एकीकृत विकास हेतु प्रायोगिक आधार पर वर्ष 2009–10 के समय 100 के आवंटन में 1000 गाँव में नयी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना प्रारम्भ की गयी ऐसे सभी गाँवों के लिये ''ग्रामीण विकास एवं निर्धनता निवारण स्कीमों'' के अन्तर्गत जारी की जाने वाली राशि के अतिरिक्त 10 लाख दिये जाते हैं।

10. **मनरेगा योजना–** ग्रामीण बेरोजगारी की विकट समस्या के समाधान के संदर्भ में 25 अगस्त 2005 को संसद में एक अधिनियम के संदर्भ में 25 अगस्त 2005 को संसद में एक अधिनियम पारित किया गया जिसे आज मनरेगा (महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम) के नाम से जाना जाता है। काम के अधिकार को सुनिश्चित करने वाली आजादी के बाद की समस्त कल्याणकारी योजना में मनरेगा सबसे महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में ही परिसम्पत्तियों का निर्माण कर रोजगार का सृजन किया जाता है।

निष्कर्ष– इन सभी विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समुदायों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये बनाये गये कार्यक्रम हैं। इन कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य ही गरीबी, उन्मूलन, रोजगार सृजन, अवसंरचना का विकास, सामाजिक सुरक्षा, जीवन स्तर में सुधार, आत्म साक्षात्कार में सुधार आदि है। इन सभी योजना के माध्यम से इन सभी समस्याओं को दूर करने का प्रयास एक लम्बे समय से चल रहा है। समस्त योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ही ग्रामीण अंचल को समृद्ध करना है। इतनी सारी महत्वपूर्ण योजना के उपरान्त भी यदि हमारे गाँव की स्थिति में वांछित परिवर्तन नहीं हुआ है तो इसका मुख्य कारण यह है कि धरातलीय स्तर पर इन योजनाओं के क्रियान्वयन में समस्या रही है। कुछ ऐसी बाधायें अवश्य रही हैं जिससे हमारे गाँव पूर्ण समृद्धि व सामर्थय को प्राप्त करने में असफल रहे हैं। इसके बावजूद ग्रामीण समाज सम्पन्न हुये हैं। साथ ही आधुनिकता को भी समाज ने अपनाकर परम्परा एवं आधुनिकता के समन्वय की एक मिशाल प्रस्तुत की है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

- भटनागर शरद एवं पाण्डेय, 2004 ''भारत में ग्रामीण समाज''
- दाहमा पी ओ ''ग्रामीण समाजशास्त्र''
- दास, विद्या एवं प्रमोद प्रधान 2007 ''इवल्युशन ऑफ चेंज इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली 42(32)
- ग्रामीण विकास मंत्रालय, 2008, 'द नेशनल रूरल इम्पलायमेन्ट गारण्टी एक्ट''
- गुप्ता एम0एल0, शर्मा डी0डी0, भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र 2008
- कुरूक्षेत्र
- योजना